

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक :- रीडर/2023/ 849

दिनांक :- 22.6.23

## आदेश

श्री बीकर सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा ने चक 4 एचआरपी के प.न. 189/110 के मु.न. 8 के किला नं. 15,16 व 25 (0.025 है. प्र.) मे रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का निवेदन किया। इस संबंध में बीकर सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा ने 50/-रूपये के नोनज्यूडीसीयल स्टाम्प नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत कर उक्त रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई।


संबंधित हल्का पटवारी के प्रमाण पत्र अनुसार चक 4 एचआरपी प.म. हरिपुरा प.नं. 189/110 मु.नं. 8 कि.नं. 5/3/0.015 है., 6/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता दर्ज है तथा पं.न. 189/111 मु.नं. 22 कि.नं. 5/2/0.025, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 16/2/0.025, 25/2/0.025 गै.मु. रास्ता दर्ज है, जिस पर किसी तरह का कोई विवाद नही होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट की प्रति पेश की। राज.उपनिवेशन (सामान्य शर्तों) 1955 की शर्त 8 में दिनांक 11.05.2012 को जरिये अधिसूचना संशोधन हो चुका है। जिसमें जन सामान्य व सरकार के पक्ष में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः उक्त शर्तों के अध्यक्षीन राजस्व रिकॉर्ड में चक 4 एचआरपी के प.न. 189/110 के मु.न. 8 के किला नं. 15,16 व 25 (0.025 है. प्र.) गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार संगरिया राजस्व रिकार्ड में आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावे। स्वीकृत रास्ते पर किसी खातेदार के स्वत्व के अधिकार, इस आदेश के फलस्वरूप समाप्त समझे जायेंगे।



क्रमांक :- सम/ 850

प्रतिलिपि :- तहसीलदार राजस्व संगरिया को भेजकर लेख है कि यदि खाता अपवादित हो तो आदेश अनुसार रास्ते का नोट लगावे।




(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया 2023

संगरिया

दिनांक :- 22/6/2023



उपखण्ड अधिकारी, संगरिया 2023

संगरिया

लीलावाली